न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास — मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या — 09/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1रामनिवास पुत्र राजूराम जाति प्रजापत निवासी कुम्हारवाडा, नागौर। फर्म—मै. प्रजापत किराणा स्टोर, कुम्हारी दरवाजा के बाहर, कॉलेज रोड, नागौर। 2माणकचंद कच्छावा पुत्र मांगीलाल निवासी ताउसर, नागौर। फर्म—माणकचंद सुनील कुमार, दुकान नं. 4, पुरानी तहसील के पीछे, देवडा मार्केट, नागौर। 3गोपीकिशन भाटी पुत्र लाभूराम भाटी निवासी रतन सागर, भाटियो की पोल, ताउसर नागौर। फर्म—मै. वासुदेव इण्डस्ट्रीज, सतगुरू नगर कॉलोनी, ताउसर रोड, हाउसिंग बोर्ड, नागौर। 4मुकेश कुमार शर्मा पुत्र रमेशचंद शर्मा निवासी भास्कर पैलेस, काठोरी मोहल्ला, पीह तह. परबतसर जिला नागौर। फर्म—मै. वासुदेव इण्डस्ट्रीज, सतगुरू नगर कॉलोनी, ताउसर रोड, हाउसिंग बोर्ड, नागौर। 5फर्म—मै. वासुदेव इण्डस्ट्रीज, सतगुरू नगर कॉलोनी, ताउसर रोड, हाउसिंग बोर्ड, नागौर।

आदेश

दिनांक :25.02.2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 22-10-2018 को मैसर्स प्रजापत किराणा स्टोर, कुम्हारी दरवाजा के बाहर कॉलेज रोड, नागौर पर खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (4Tuner ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1032 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/734/एक्ट/2018/750 दिनांक 31.10.2018 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (4Tuner ब्राण्ड) मिस ब्राण्डेड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण रामनिवास पुत्र राजूराम जाति प्रजापत निवासी कुम्हारवाडा, नागौर, माणकचंद कच्छावा पुत्र मांगीलाल निवासी ताउसर, नागौर, गोपीकिशन भाटी पुत्र लाभूराम भाटी निवासी रतन सागर, भाटियो की पोल, ताउसर नागौर, मुकेश कुमार शर्मा पुत्र रमेशचंद शर्मा निवासी भास्कर पैलेस, काठोरी मोहल्ला, पीह तह. परबतसर जिला नागौर तथा मै. वासुदेव इण्डस्ट्रीज, सतगुरू नगर कॉलोनी, ताउसर रोड, हाउसिंग बोर्ड, नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस. एस.ए.2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 18-02-2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 4 दिनांक 25.04.19 को न्यायालय मे उपस्थित हुआ, अप्रार्थी सं. 1 व 2 दिनांक 8.8.19 को न्यायालय मे उपस्थित हुए तथा अप्रार्थी सं. 3 व 5 की ओर से अप्रार्थी सं. 3 न्यायालय मे उपस्थित हुए। इसके पश्चात वे गैर हाजिर रहे है।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/734/एक्ट/2018/750 दिनांक 31.10.2018 के अनुसार खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (4Tuner ब्राण्ड) का नमूना मिस ब्राण्डेड पाया गया है। अतः अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 1 रामनिवास पुत्र राजूराम जाति प्रजापत निवासी कुम्हारवाडा, नागौर, पर रूपये 10,000/— अक्षरे रूपये दस हजार अप्रार्थी सं. 2 माणकचंद कच्छावा पुत्र मांगीलाल निवासी ताउसर, नागौर, पर रूपये 15,000/— अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार, अप्रार्थी सं. 3 गोपीकिशन भाटी पुत्र लाभूराम भाटी निवासी रतन सागर, भाटियो की पोल, ताउसर नागौर पर रूपये 15,000/— अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार, अप्रार्थी सं. 4 मुकेश कुमार शर्मा पुत्र रमेशचंद शर्मा निवासी भास्कर पैलेस, काठोरी मोहल्ला, पीह तह. परबतसर जिला नागौर पर रूपये 15,000/— अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार, तथा अप्रार्थी सं. 5 मै. वासुदेव इण्डस्ट्रीज, सतगुरू नगर कॉलोनी, ताउसर रोड, हाउसिंग बोर्ड, नागौर पर 15,000/— अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार कुल रूपये 70,000/—

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

अक्षरे रूपये सत्तर हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर